भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5019

दिनांक 31 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

महिलाओं हेतु नि:शुल्क बस यात्रा

5019. डॉ. के. जयकुमार:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें अपनी राज्य परिवहन बसों में महिलाओं के लिए नि:शुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार का महिला कल्याण कार्यक्रम के लिए ऐसी नि:शुल्क यात्रा सुविधा लागू करने के लिए अन्य राज्य सरकारों को सलाह देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केंद्र सरकार ऐसे नि:शुल्क बस यात्रा कार्यक्रमों के संबंध में निधि प्रदान करके राजसहायता प्रदान करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : जी हाँ। कुछ राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र अपने कार्यक्षेत्र के भीतर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा सुविधा प्रदान कर रहे हैं। हालांकि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की अनुसूची के अनुसार 'सार्वजनिक परिवहन' अथवा संचार के साधनों अर्थात रोड, ब्रिज, नौका और संचार के अन्य साधनों को अनुसूची की सूची । और ।।। में निर्दिष्ट नहीं किया गया है; सार्वजनिक ट्रामवे; रोपवे; अंतरदेशीय जलमार्ग और ट्रैफिक राज्य के विषय हैं और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियों/कार्यक्रमों को निरूपित और कार्यान्वित करने के लिए सशक्त किया गया है।

*****